Annex - I

83

संख्या–1201/18–2–2006–41ल0उ0/97
लघु उद्योग अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक 25 मई 2006

विषय : **एकीकृत मार्जिन मनी ऋण, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना एवं उसके अतिरिक्त अन्य छूटी हुई विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत बकाया देयों की अधिकतम वसूली हेतु वन टाईम सेटेलमेण्ट योजना तथा औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना।**

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–141/10–जि0उ0के0/ओ0टी0एस0संशोधन/2005.06, दिनांक 20..05.2005 एवं 980/10–जि0उ0के0/ओ0टी0एस0/2005.06, दिनांक 10.03.2006 तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्र संख्या–2164/वि0नि0/वसूली/2003.2004 दिनांक 16.08.2003 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यमियों को बकाया ऋणों के भुगतान में सहूलियत देने के उद्देश्य से शासन द्वारा यथासलग्न एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) अधिकतम [illegible] के लिए लागू करने का [illegible] किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द तथा शासन [illegible] एजेण्ट के रूप में वितरित किये गये निर्दिष्ट ऋणों के मामलों में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इस योजना का समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा पात्रता की श्रेणी मे आने वाली समस्त इकाईयों को ओ0टी0एस0 प्रारूप के साथ योजना की पूर्ण जानकारी दी जायेगी। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

– – **वी0वी0 सिंह विश्वेन, प्रमुख सचिव।**

शासनदेश संख्या 1201/18–2–2006–41 ल0उ0/97 दिनांक 25 मई 2006 का संलग्नक

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना, जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना एवं उसके अतिरिक्त अन्य छूटी हुई विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत बकाया देयों की अधिकतम वसूली हेतु वन टाईम सेटलमेण्ट योजना तथा औद्योगिक ऋण प्रबन्धन योजना।

1. आच्छादित ऋण योजनाए :

1. जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना।
2. एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना।
3. उ0 प्र0 वित्त निगम द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में संचालित निम्न ऋण योजनाएं –
   - क) शिक्षित बेरोजगार एवं तकनीकी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना।
   - ख) औद्योगिक काम्लेक्सेज हेतु मार्जिन मनी ऋण योजना।
   - ग) इम्प्लायमेण्ट प्रमोशन प्रोग्राम/हाफ ए मिलियन जॉब प्रोग्राम के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण योजना
   - घ) बीमार इकाईयों के लिए मार्जिन मनी ऋण योजना।
   - च) उदार ऋण योजना (एल0एल0एस0)।
   - छ) सामान्य ऋण योजना (जी0एल0एस0)।
   - ज) कोल्ड स्टोरेज ऋण योजना।
   - झ) अन्य छूटी हुई ऋण योजना।
4. लघु/कुटीर उद्योगों के लिए ऋण योजना।

अ) मुख्यालय निधि ब) आयुक्त निधि

5. विशेष ऋण योजना :
   अ) पूर्वी जिलों का ऋण ब) एक्सीलरेटेड ऋण स) बुन्देलखण्ड जिलों का ऋण।
6. सीमान्त विकास ऋण योजना।
7. खादी योजना।
8. हस्तकला सहकारी समितियों को अंशपूजी ऋण योजना।
9. ग्रामीण उद्योग परियोजनान्तर्गत प्रदत्त ऋण।
10. औद्योगिक सहकारी समितियों को अंशपूजी ऋण योजना।
11. कम विकसित तथा पिछड़े क्षेत्र को ऋण योजना।
12. उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम की पैकेज सहायता योजना।
13. विकास केन्द्र ऋण योजना।
14. जिला उद्योग केन्द्र ऋण योजना।

"क्रमांक–1(3) पर अंकित योजनाओं के लिए उ0 प्र0 वित्तीय निगम उत्तरदायी होगें तथा इस सम्बन्ध मे लम्बित देयों की वसूली/समाधान उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के इस शासनादेश में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा।"

योजना के उद्देश्य :

इकाईयों को सहूलियते देते हुए ऋण के रूप में वितरित अधिकतम वसूली सुनिश्चित किया जाना।

पात्रता :

1) रूग्ण/बन्द लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाईया/ऋण जिन्होंने बकाया पिछली छः किश्तों का लगातार भुगतान नहीं किया है अथवा वर्ष 2001.02 से उत्पादन शून्य है तथा वर्तमान में बन्द है।
2) लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी इकाईया जो पूर्व में कभी नही चली हों अथवा
3) उ0 प्र0 वित्तीय निगम के अधिनियम की धारा–29 के अर्न्तगत कार्यवाही के अधीन अथवा नीलाम की जा चुकी ईकाइयां।

योजनान्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया/अनुमन्य लाभ :

क) योजनान्तर्गत एकमुश्त समाधान स्वीकृत होने पर इकाई/ऋणी को मूलधन की पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी तदुपरान्त व्याज में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी।

ख) योजनान्तर्गत एक मुश्त समाधान स्वीकृत होने पर जो रूग्ण/बन्द इकाईयां मूलधन का एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकती है उनसे मूलधन दो त्रैमासिक किस्तों में 50 प्रतिशत व्याज के साथ वसूल किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत बयाज माफ कर दिया जायेगा।

ग) पात्र इकाईयों/ऋणी को मूलधन का 10 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के सथ अग्रिम रूप से जमा करनी होगी जिसका योजनान्तर्गत एक मुश्त मूलधन/अन्तिम किस्त (जो लागू हो) जमा करने के दौरान किया जायेगा।

5. प्रस्तावित कार्यवाही :

1) प्रस्तावित कार्यवाही के लिए पात्रता की परिधि में आने वाली इकाईयों/ऋणी को जिला उद्योग केन्द्र ऋण के मामले में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा शासन के एजेण्ट के रूप मे वितरित किये गये ऋण के ममाले में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम पात्रता प्रमाणन हेतु सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किये जायेंगे जो इकाई से सम्बन्धित मामले को महाप्रबनधक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से जिला उद्योग बन्धु (ओ0टी0एस0 हेतु सक्षम समिति)के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगें जिसका निर्णय अन्तिम होगा। सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उद्योग विभाग की योजनाओं के लिए तथा क्रमांक –1(3) की योजनाओं के लिए उ0प्र0 वित्तीय निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तरदायी होंगें तथा नोडल अधिकारी की भांति कार्य करेंगे तथा इसकी प्रगति समीक्षा एवं मामलों का मासिक अनुश्रवण जिला उद्योग बन्धु की बैठकों में नियमित रूप से किया जायेगा।

2) इस योजना का प्रचार–प्रसार प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों, दूरदर्शन के स्थानीय चैनल, आकशवाणी तथा चलचित्र के माध्यम से कराया जायेगा। महाप्रबन्धक जिला उद्योग कन्द्र/क्रमांक–1(3) की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 वित्तीय निगम के द्वारा योजना का समुचित प्रचार–प्रसार (डुगडुगी/मुनादी सहित) कराया जोयगा तथा पात्रता की श्रेणी में आने वाली सभी इकाइयों को पत्र द्वारा (ओ0टी0एस0 हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ) अवगत भी कराया जायेगा।

3) इकाई/ऋणी द्वारा इस योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुऐ आवेदन पत्र महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/क्रमांक–1(3) की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 वित्तीय निगम के द्वारा प्रस्तुत किया जोयगा, जिसमें अनुमन्य लाभ का स्पष्ट विकल्प दिया जायेगा।

4) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिला उद्योग बन्धु की अगली बैठक में महाप्रबन्धक, उ0 प्र0 वित्तीय निगम के द्वारा मामले को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला उद्योग बन्धु की स्वीकृति के आधार पर महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/क्रमांक–1(3) की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा वन टाइम सेटेलमेण्ट आदेश तत्काल निपर्गत किया जोयगा, जिसके साथ हस्ताक्षरित ट्रेंजरी चालान, भुगतान करने की तिथि अंकित करते हुए उद्यमी को उलब्ध करायी जायेगी, साथ ही आदेशों में किश्तों की तिथियों एवं देय ब्याज/धनराशि की स्पष्ट रूप से अंकित किया जोयगा।

5) ओ0टी0एस0 योजना की समाप्ति की अन्तिम तिथि एक ही प्रत्यावेदन ओ0टी0एस0 हेतु स्वीकार्य होगें (डाक से प्राप्त विलम्बित आवेदन–पत्रों/चेक क्लीयरेन्स में विलम्ब पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा)

6) ओ0टी0एस0 योजना की प्रगति की पाक्षिक सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

6. योजना की अवधि :

अ) औद्योगिक ऋणों की वसूली हेतु ओ0टी0एस0 योजना की निर्धारित समय सीमा, इस योजना के एतद्विषयक शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगी।

ब) उद्यमी /इकाई/ऋणी से प्राप्त प्रस्ताव पर जिला उद्योग बन्धु की स्वीकृत के पश्चात न्यूनतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में वन टाईम सेटलमेण्ट के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगें।

ओवर राइडिंग इफेक्ट :

इस योजना के अन्तर्गत वन-टाइम सेटलमेण्ट के आदेशों के अधीन निर्धारित किसी भी किश्त के भुगतान के डिफाल्टर होने पर वन टाईम सेटलमेण्ट आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं इस आदेश के अधीन इकाई द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि प्रचलित योजनान्तर्गत सेटलमेण्ट के पूर्व के देयों के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी। वन टाईम सेटलमेण्ट के पारित आदेश में इस शर्त का भी उल्लेख किया जायेगा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने वाले ऋणी के सम्बन्ध में मूल ऋण अनुबन्ध–पत्र के अन्तर्गत वसूली के प्राविधान, डिफाल्टर होने तक निष्प्रभावी रहेंगें, जिन मामलों में वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया गया है उनमें वसूली प्रमाण–पत्र भी एकमुश्त समाधान योजना के आदेश में निहित अवधि के अन्तर्गत डिफाल्टर होने तक स्थगित रहेगा, जिन मामलों में एकमुश्त समाधान योजना के अर्न्तगत देय ऋण का पूर्णतः समाधान हो जाता है, उनमें वसूली प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जाता है। अतएव ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत देय ऋण का पूर्ण समाधान हो जाने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/क्रमांक–1(3) की योजनाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 वित्तीय निगम के द्वारा वसूली प्रमाण वापस लिये जाने के लिए सम्बन्धित तहसील अधिकारी को अवगत कराये जाने के साथ–साथ इकाई को नोड्यूज प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से एवं अविलम्ब जारी किया जायेगा तथा उद्यमी/इकाई/ऋणी से इस आशय का हस्तलिखित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। पारित आदेश में यह भी उल्लेख कर दिया गया जायेगा कि पात्र उद्यमी/इकाई/ऋणी को एकमुश्त समाधान योजना की सुविधा एक बार ही अनुमन्य होगी। समस्त पुराने बकायेदार जो इस योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आते है, का ओ0टी0एस0 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा एक अभियान के तहत शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि योजना अवधि समाप्त होने के बाद भी जो बकायेदार रह जाते है उनके विरूद्ध सख्ती से वसूली की कार्यवाही करनी होगी। योजना समाप्ति के पश्चात इस प्रकार के बकायेदारों के प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक/दण्डात्मक कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

— — वी0वी0 सिंह विश्वेन, प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0 प्र0 शासन।